

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक 39376/एम.सी./4/ राज/2024

भोपाल, दिनांक 12/11/2024

// विज्ञप्ति //

म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12/01/2018 मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 एवं मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1105 एफ 2-45/2010/1/55 भोपाल दिनांक 24.07.2024 एवं कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 112/स्था/राज/संचिशि/2024 भोपाल दिनांक 18.01.2024 के अर्न्तगत स्वाशासी संस्था गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन निम्नलिखित विभागों में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है आवेदन करने की पात्रता उन्हीं उम्मीदवार को होगी जो शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित अद्यतन टी.ई.क्यू नियमावली अनुसार अर्हताएं पूरी करते हों।

अतः निम्नलिखित रिक्त पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल (स्वशासी समिति) द्वारा दिनांक 04/12/24 सायं 5:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.gmcbbhopal.net पर उपलब्ध है। योग्य उम्मीदवारों की सूची एवं साक्षात्कार की तिथि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की website पर उपलब्ध कराई जाएगी इस हेतु website का अवलोकन करे।

आवेदन पत्र डाक द्वारा/व्यक्तिगत रूप से अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन शुल्क प्राध्यापक/सह प्राध्यापक अनारक्षित पद के लिए 3000/- एवं आरक्षित वर्ग के पद के लिए 2000/- प्रति आवेदन होगा। आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सामहाविद्यालय के खाते मे-IMPS/NEFT/ऑनलाइन माध्यम द्वारा **Account Name:-** CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal. **Bank Name:-** State Bank of India **Account No:-** 10625211248 **IFSC Code:** SBIN0010140 द्वारा जमा कराना होगा।

शुल्क संचालन की प्रति आवेदनपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 04/12/2024 सायं 5:30 बजे तक अधिष्ठाता कार्यालय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

रिक्तियां निम्नानुसार है:-

प्राध्यापक - वेतनमान लेवल 14 : 144200-218200

पदोन्नति/सीधी भर्ती

| क्रमांक | विभाग | UR | OBC | ST | SC | Remark |
|---------|------------------|----|-----|----|----|--------|
| 1 | पी एम आर | 01 | - | - | - | - |
| 2 | मेडिकल आंकोलॉजी | 01 | - | - | - | - |
| 3 | स्पार्टस मेडिसिन | 01 | - | - | - | - |
| | कुल-03 | 03 | 00 | 00 | 00 | |

सह-प्राध्यापक वेतनमान-लेवल 13ए : 131400-217100
पदोन्नति/सीधी भर्ती

| क्रमांक | विभाग | UR | OBC | ST | SC | Remark |
|---------|------------------|----|-----|----|----|--------|
| 1 | पी एम आर | 01 | - | - | - | - |
| 2 | मेडिकल आंकोलॉजी | 01 | - | - | - | - |
| 3 | स्पोर्टस मेडिसिन | 01 | - | - | - | - |
| | कुल-03 | 03 | 00 | 00 | 00 | |

सहायक-प्राध्यापक (सीधी भर्ती)वेतन मेट्रिक्स लेवल 11 - 68900-139900

| क्रमांक | विभाग | UR | OBC | ST | SC | EWS | Remark |
|---------|--|----|-----|----|----|-----|--------|
| 1 | फिजियोलॉजी | 01 | - | - | - | - | - |
| 2 | जनरल सर्जरी | 01 | 01 | - | 01 | - | - |
| 3 | न्यूरोसर्जरी ट्रामा यूनिट (सर्जरी विभाग) | - | 01 | - | - | - | - |
| 4 | इमरजेंसी मेडिसिन | 01 | - | - | - | - | - |
| 5 | पी एम आर | 01 | - | - | - | - | - |
| 6 | स्पोर्टस मेडिसिन | 01 | - | - | - | - | - |
| 7 | जनरल मेडिसिन | - | - | - | 01 | - | - |
| 8 | फॉरेंसिक मेडिसिन | - | 01 | - | - | - | - |
| 9 | पैथोलॉजी | 01 | 01 | 01 | - | - | - |
| | कुल-13 | 06 | 04 | 01 | 02 | 00 | - |

बैकलाग के पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

प्राध्यापक - वेतनमान लेवल 14 : 144200-218200 पदोन्नति/सीधी भर्ती

| क्रमांक | विभाग | UR | OBC | ST | SC | Remark |
|---------|------------------------|----|-----|----|----|--------|
| 1 | प्रसूति एवं स्त्री रोग | - | - | 01 | - | - |
| 2 | कार्डियोलॉजी | - | - | 01 | - | - |
| | कुल-02 | 00 | 00 | 02 | 00 | |

सह-प्राध्यापक वेतनमान-लेवल 13ए : 131400-217100
पदोन्नति/सीधी भर्ती

| क्रमांक | विभाग | UR | OBC | ST | SC | Remark |
|---------|------------------------|----|-----|----|----|--------|
| 1 | प्रसूति एवं स्त्री रोग | - | - | 01 | - | - |
| 2 | रेस्पिरटरी मेडिसिन | - | - | 01 | - | - |
| 3 | कार्डियोलॉजी | - | - | 01 | - | - |
| | कुल-03 | 00 | 00 | 03 | - | - |

सहायक-प्राध्यापक (सीधी भर्ती) वेतन मेट्रिक्स लेवल 11 - 68900-139900

| क्रमांक | विभाग | UR | OBC | ST | SC | EWS | Remark |
|---------|------------------------|----|-----|----|----|-----|--------|
| 1 | प्रसूति एवं स्त्री रोग | - | 01 | 03 | - | - | |
| 2 | फार्माकॉजी | - | - | 01 | - | - | - |
| 3 | गेस्ट्रोइन्टोलॉजी | - | 01 | 01 | - | - | |
| 4 | रेस्पिरेटरी मेडिसिन | - | | 02 | 01 | - | - |
| 5 | रेडियोलॉजी | - | - | 02 | | - | - |
| 6 | नेफ्रोलॉजी | - | 01 | 01 | - | - | - |
| 7 | मेडिकल आंकोलॉजी | - | 01 | - | - | - | - |
| 8 | बाल्य एवं शिशु रोग | - | 01 | 01 | - | - | - |
| 9 | ईएनटी | | 01 | | | | |
| | कुल-18 | 00 | 06 | 11 | 01 | 00 | - |


रिक्तियों की संख्या परिवर्तनिय भर्ती के किसी भी चरण में पदों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है
नोट:-

1. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती हैं।
2. आवेदन का प्रारूप एवं नियम/ शर्तों से संबंधित विस्तृत विवरण चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर www.gmcbbhopal.net पर उपलब्ध है।
3. समस्त नियुक्तियाँ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/ निर्णयों के अधीन रहेगी। एवं किन्ही भी कारणों से किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेंगे।
4. पदोन्नति/सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती के रिक्त पदों में कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 396/स्था/राज/2022 भोपाल दिनांक 18.04.2022 में जारी मध्यप्रदेश स्वशासी शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 में नियम 3(ग) के अन्तर्गत जारी अनुसूची क्रमांक 2 की टीप क्रमांक 1 एवं 2 अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति/सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. संचालक (राजपत्रित) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

| | | |
|------------------|---|--------------------------|
| 1. वेतनमान | — | नियमित नियुक्ति हेतु |
| प्राध्यापक | — | लेवल 14 : 144200—218200 |
| सह प्राध्यापक | — | लेवल 13ए : 131400—217100 |
| सहायक प्राध्यापक | | लेवल 11 — 68900—205500 |

टीप—राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

| | | |
|------------------|---|---------|
| 2. आयु सीमा | | न्यूनतम |
| प्राध्यापक | — | 35 वर्ष |
| सह प्राध्यापक | — | 30 वर्ष |
| सहायक प्राध्यापक | | 25 वर्ष |

टीप — आयु की गणना दिनांक 01/01/2024 को आधार मानकर की जायगी।

3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी, जाति प्रमाण-पत्र (डिजिटल प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

4. शैक्षणिक अर्हतायें :-

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा प्रस्थापित अद्यतन टी.ई.क्यू. अनुसार शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित अर्हता।

5. निरर्हतायें :-

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा— किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये

अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह/अनुशंसा — जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे

- पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

5.6 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 दिनांक 25.05.2000 के अनुसार — कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। किन्तु पूर्व से मध्यप्रदेश शासन/स्वशासी समिति अंतर्गत कार्यरतों के लिए इस शर्त की व्याख्या सेवानिरंतरता के सिद्धांत अनुसार लागू होगी।


- 5.7 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- 5.8 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामास्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 5.9 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- 5.10 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।

नियम एवं शर्तें:-

6. स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। शेष अन्य सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों को नियोक्ता द्वारा अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
8. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
9. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित(500रुपये) एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी। अथवा भू-राजस्व से वसूली योग्य होगी।
10. उक्त शर्त क्रमांक 9 के पूर्ण होने के अतिरिक्त आपकी सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते(बिंदु क्रमांक-9 की राशि के अतिरिक्त) देकर समाप्त की जा सकती है भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय अतिरिक्त राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
11. उम्मीदवार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम(6)) जिसके प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद, दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

12. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में आवेदन पत्र दिनांक 04/12/24 को सांय 05:30 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र डाक द्वारा, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. अपूर्ण आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. संस्था के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
16. आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए 3000/- एवं आरक्षित पद के लिये 2000/- आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सामहाविद्यालय के खाते में-IMPS/NEFT/ऑनलाइन माध्यम द्वारा Account Name:- CEO & Dean Gandhi Medica College Bhopal. Bank Name:- State Bank of India, Account No:- 10625211248 IFSC Code: SBIN0010140 में जमा कराना होगा। शुल्क संचालन जमा की प्रति आवेदनपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

महत्वपूर्ण टीप:- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित समस्त अर्हताये और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की अर्हताए पूर्ण न होने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की प्रशासनिक जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है में अनिवार्य रूप से दिया जाना है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी। आवेदन शारीरिक रूप से स्वस्थ हो नियुक्ति उपरांत मेडिकल फिसनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ज्वानिंग मान्य की जा सकेगी।


12/11/24

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल